न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 10/2023

(GCMS 2023/18, RTI No. 2125767334447679)

मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी गांव 5 केएसडी, [illegible] सुखचैनपुरा, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मोबाईल नम्बर [illegible]1941862)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

13.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.12.2022 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वांछित सूचना उसे शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

> चक 4 बीपीएम, पटवार हल्का 23एसडी, भू.अभि.नि. 12 जीबी पत्थर नं. 134/419, 135/419 मुरब्बा नमं. 59, मुरब्बा नं. 60 किला नं. 1 से 3, 8 से 13 तक, किला नं. 17 से 19 तक, 22 से 24 तक कुल रकबा 15 किला मुरब्बा नं. 135/419 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 कुल रकबा 5 बीघा [illegible] दोनों पत्थरों के अनुसार आवंटन पत्रावली पूर्ण दस्तावेजों सहित फोटो कॉपी चाही है और आवेदन पत्र की [illegible] की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक रिकॉर्ड/2022/229 दिनांक 16.12.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थना पत्र में कुछ भी स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया है यथा नाम अदालत, प्रकरण संख्या, अनवान् इस कारण से आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रदान की जानी सम्भव नहीं हैं
>
> राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का का अधिकार प्रकोष्ठ, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.22(16)/प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 16.12.2011 के प्रश्न 10 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार
> एवं उपजिला कलक्टर, सूरतगढ़

प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार एवं उपजिला जिला कलकटर, सूरतगढ़ ने अपने उक्त पत्रांक 229 दिनांक 16.12.2022 से उक्तानुसार जवाब दिया है कि अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से नाम अदालत, प्रकरण संख्या, अनवान आदि अंकित नहीं किया है इसलिए सूचना दी जानी सम्भव नहीं है इसीप्रकार पैरा/2 में अंकित किया है कि सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना, आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है जबकि अपीलार्थी द्वारा किसी भी अदालत की पत्रावली नहीं चाही गई है और न ही सूचना सृजित करवानी चाही है और न ही किसी समस्या का समाधान या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर चाहे गये है अपितु अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण सूचना देते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आवंटन पत्रावली के दस्तावेजों की प्रतिलिपि चाही गई हैं। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है। **प्रभारी अधिकारी** अभिलेखागार **एवं उपजिला कलक्टर, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि** वे आपके कार्यलय में उपलब्ध अभिलेख में से अपीलार्थी को वांछित देय सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार 10 दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार एवं उपजिला कलक्टर, सूरतगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:05:07 IST
Reason: SelfAttested